कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपर छ.ग.

क्रमांक /डी.एम.एफ./मा.सं./2019/ 2385 जशपुर दिनांक :–20/9/2019

विज्ञापन

जिला चिकित्सालय जशपुर , जिला अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुद्ढीकरण के लियें विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत,जशपुर में आयाजित किया गया है। जिसके लियें इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ वॉंक–इन–इन्टरव्य् हेतु आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन जमा,पंजीयन,एवं इंन्टरव्यु की तिथी 21, 22 एवं 23 अक्टूबर 2019 तथा पंजीयन हेतु निर्धारित समय प्रति दिवस सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक एवं इन्टरव्यू हेतु निर्धारित समय दोपहर 2.00 बजे से 05.00 बजे तक। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स्वास्थ्य संस्थान जिला/विकासखंड	पद नाम	पद संख्या	एक मुश्त मानदेय (राशि रूपयें में)
जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु	स्त्री रोग विशेषज्ञ	08	Negotiable Salary Starting form Rs 1.5 Lakhs for Specialist Degree Holder and Rs.1.00 Lakh for PG Diploma Holder
	निश्चेतना विशेषज्ञ	03	
	शिशु रोग विशेषज्ञ	08	
	मेडीसीन विशेषज्ञ	06	
	जनरल सर्जन	03	
	रेडियोलॉजिस्ट	02	
	अस्थी रोग विशेषज्ञ	01	

टीपः– उपरोक्त विशेषज्ञों पदों का मासिक वेतन न्यूनतम मासिक मानदेय रू 1.5 लाख एवं अधिकतम 2.50 लाख होगा तथा डिप्लोमाधारी का न्यूनतम मासिक मानदेय रू 1.00 लाख एवं अधिकत्तम 1.50 लाख तक होगा।

नियम एवं शर्ते :–

01. विज्ञापन से संबधित समस्त दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में उपलब्ध है।
02. उपरोक्त पदों हेतु वेतनमान परकाम्य (Negotiable) होगी।
03. विशेषज्ञ/चिकित्सकों की डिप्लोमा/डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद/छत्तीसगढ मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त एवं पंजीयन होना आवश्यक है।
04. चयनित विशेषज्ञ/चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा,अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिया जायेगा।
05. आयु सीमा दिनांक 01/01/2019 को अधिकत्तम 64 वर्ष होना चाहियें। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवी,बारहवीं,की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी, जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा। सेवाकाल 01 वर्ष होगा, जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।
07. संविदा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को 01 वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नही होगी।
08. पद पर नियमित नियुक्ति होन,डी.एम.एफ. की स्वीकृति/उपलब्धता न होने,संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
09. डी.एम.एफ. मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही वेतन का भुगतान किया जावेगा।

10. संविदा नियुक्ति नियम के अन्तर्गत सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर /देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. संविदा नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण)नियम 1985 से शासित होंगे।
12. संविदा नियुक्त कर्मचारी को सेवा समाप्ति के प्श्चात संविदा सेवक के रूप में जितने अवधि तक सेवा दी गई है। उस अवधि के लियें किसी भी पेंशन,उपादान या मृत्यु का लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
13. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कियें गयें अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिख जावेगा।कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा।
14. इन नियमों में नियुक्त कोई भी व्यक्ति निजी प्रेक्टिस नही कर सकेगा। नॉन प्रेक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन में शामिल है। उन्हे नॉन प्रेक्टिस भत्ता (NPA) देय नही होगा।
15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तिको किसी भी प्रकार का स्थान्तरण अथवा स्थान परिर्वतन के हकदार नही होगा।
16. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायें जाने पर सेवाएं स्वमेय समाप्त मानी जावेगी।
17. अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा। प्रमाण पत्र त्रृटिपूर्ण पायें जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।
18. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार क विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार केवल चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
19. संविदा नियुक्ति चिकित्सक/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा परिक्षण में योग्य नही पायें जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी।
20. आवश्कता अनुसार पदों की संख्या में परीर्वतन किया जा सकता है।
21. उक्त पदो हेतु वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 21, 22 एवं 23 अक्टूबर तक समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत जशपुर मं अभ्यार्थी स्वयं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूलप्रति एवं 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
22. किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही कियें जायेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जशपुर छ.ग.